सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, रावर्ट्सगंज –सोनभद्र।
बन्धियो में मत्स्य आखेट की नीलामी सूचना 02/ई0ई0/2017–18

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश की ओर से निम्न बन्धियो मे मत्स्य पालन/आखेट हेतु नीलामी पद्वति से दिये जाने के लिये सार्वजनिक नीलामी दिनांक 25.09.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे निरीक्षण भवन सिंचाई कालोनी बढ़ौली रावर्ट्सगंज सोनभद्र पर की जायेगी ।

क्र0स0	बन्धी का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम	अग्रिम धनराशि (रूपया में)
1	ढोलो	घोरावल	सोनभद्र	30000.00
2	जोगेन्द्रा	घोरावल	सोनभद्र	30000.00
3	बलुहा	घोरावल	सोनभद्र	30000.00

निलामी की मुख्य शर्तें:–

1. मत्स्य जीवी सहकारी समिति/ ठेकेदार को प्रत्येक बंधी की बोली बोलने के पूर्व पत्येक बंधी की अलग–अलग अग्रिम जमानत धनरा ि ा जमा करनी होगी। बिना अग्रिम जमानत धनरा ि ा जमा किये किसी भी बोली दाता को बोली बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि अधिकतम बोली बोल कर कोई समिति/ठेकेदार ठेका नहीं लेता है तो उसकी अग्रिम जमानत धनरा ि ा विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
2. नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व नीलामी में भाग लेने वाले मत्स्य जीवी सहकारी समिति के सदस्य/ठेकेदार को अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र बोली बोलने से पूर्व नीलामी समिति के समक्ष जमा करना होगा। बिना चरित्र प्रमाण–पत्र (वैध) जमा किये बोली बोलने की अनुमति नहीं रहेगी। अन्य अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
3. बन्धियों की नीलामी निर्धारित तिथि में करायी जायेगी जिसकी अवधि तीन वर्श की होगी।
4. मत्स्य पालन/आखेट हेतु नीलामी तीन वर्श के लिये की जायेगी। नीलामी की अवधि ठेका स्वीकृति के दिनांक से प्रारम्भ हो कर तीस जून 2020 तक के लिये होगी।
5. नीलामी मे सबसे अधिकतम बोली लगाने वाले समिति /ठेकेदार का सक्षम अधि ाासी अभियन्ता सिंचाई निमार्ण खण्ड रावर्ट्सगंज सोनभद्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ठेका स्वीकृत किया जायेगा। अधि ाासी अभियन्ता सिंचाई निमार्ण खण्ड रावर्ट्सगंज सोनभद्र द्वारा अधिकतम बोली के होते हुए भी यदि उच्चतम बोली यदि कम प्रतीत होती है तो ठेका अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
6. समिति/ठेकेदार को ठेके की अवधि की नीलामी धनरा ि ा का 5 प्रति ात वतौर जमानत धनरा ि ा सिंचाई विभाग के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। ठेका समाप्त होने के 6 माह उपरान्त जमानत धनरा ि ा अवमुक्त की जायेगी।
7. मत्स्य पालन/आखेट हेतु उच्चतम बोली बोलने वाली समिति/ठेकेदार को नीलामी समाप्त होने पर प्रथम वर्श की बोली की 50 प्रति ात धनरा ि ा तुरन्त जमा करना होगा। प्रथम वर्श की अव ोश 50 प्रति ात धनरा ि ा ठेका स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर जमा करनी होगी। समिति /ठेकेदार द्वारा द्वितीय वर्श एवं तृतीय वर्श तक ठेकों की वार्शिक धनरा ि ा का 1/2 भाग 15 जून तक 1/2 भाग 15 नवम्बर तक प्रत्येक वर्श जमा करना अनिवार्य होगा। यदि समिति /ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर वार्शिक किस्तों की अदायगी नहीं की जाती है तो देय तिथि से मतस्य पालन /आखेट पर रोक लगाते हुए ठेका निरस्त कर जमानत धनरा ि ा जब्त कर ली जायेगी साथ ही पुनः नीलामी की कार्यवाही कर दी जायेगी।
8. अनुबंध के समय मत्स्य जीवी सहकारी/ठेकेदारों द्वारा उचित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरा जायेगा। स्टाम्प भुल्क सम्बन्धित समिति /ठेकेदार को देय होगा।
9. समिति/ठेकेदार को ि ाकार हेतु केवल निर्धारित मानक के जालों का प्रयोग करने का अधिकार होगा, जिससे की प्रतिबंधित साईज/भार डेढ़ किलो से कम की भारतीय मेजर कार्य एवं महा ोर की मछली नही निकाली जा सकती है। 01 जूलाई से 30 सितम्बर तक जला ाय में ि ाकारमाहीं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
10. जिन समितियों /ठेकेदार पर बकाया वसूली चल रही है, उनको बोली बोलने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
11. नीलामी की अन्य भार्तें नीलामी की बोली प्रारम्भ होने से पूर्व समिति/ठेकेदार को सुनाई जायेगी।
12. नीलामी बोली हेतु रजिस्ट्रे ान कराने तथा धनरा ि ा जमा करने के उपरान्त यदि किसी कारण वस बोली लगाने वाला नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसकी बयाने की धनरा ि ा जब्त कर ली जायेगी।

(जी0बी0 पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता